मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय/पर्यवेक्षण विभाग/डीओसी/2025/04924

20 नवंबर, 2025

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियाँ

महोदया/महोदय,

निर्माण के चरणों से जुड़े आवास ऋण की वैयक्तिकों को अदायगी

रिट याचिका संख्या 23590 of 2025 में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के 05.08.2025 के आदेश के संबंध में, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक को आवास ऋण की ब्याज राहत योजना से सम्बंधित परामर्श जारी करने हेतु निर्देशित किया है।

2. इस सम्बन्ध में, सभी आवास वित्त कंपनियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि आवास ऋण की अदायगी आवास परियोजना/आवास के निर्माण के चरणों से पूरी तरह जुड़ी हो और अधूरे/निर्माणाधीन/ग्रीन फील्ड आवास परियोजना/आवास के मामले में अग्रिम संवितरण न किया जाए। आवास वित्त कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अलग-अलग निर्देश/दिशानिर्देश विशेषतः मास्टर दिशानिर्देश-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी– आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के पैरा 87, 88 और 89 का सख्ती से पालन करें।

3. इसके अतिरिक्त, आवास वित्त कंपनियों को अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सलाह दी जाती है कि कोई भी नया ऋण उत्पाद पेश करते समय, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पाद के सभी नियम और शर्तें मास्टर दिशानिर्देश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 और तत्पश्चात आवास वित्त कंपनियों/गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए के परिपत्रों के अनुरूप हों।

भवदीय,

सौरव सील

(सौरव सील)

महाप्रबंधक

पर्यवेक्षण विभाग